भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 370
(मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कंपनियों के बोर्ड की सदस्यता में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

370 श्रीमती राजाथी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय की सभी सूचीबद्ध कंपनियों और 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में महिला बोर्ड सदस्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की योजना है;
(ख) वर्ष 2014 से अब तक अनुपालन न करने की घटनाओं की संख्या कितनी है और उन कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है;
(ग) वर्ष 2021 से अब तक जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या भारत सरकार की प्रतिष्ठानों में लैंगिक विविधता को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक कार्यस्थल पर लैंगिक समानता अधिनियम अधिनियमित करने की योजना हैं?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।
(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में यह निर्धारित करता है कि कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसी के अनुरूप, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अहर्ताएं) नियम, 2014 का नियम 3 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता पूंजी एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका कुल कारोबार तीन सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, को कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध इकाइयों के मामले में, उनके बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है।

(ख): अनुपालन न करने के मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:

नियमों के अनुपालन के मामलों की संख्या	**शामिल कंपनियों की संख्या**	**दायर किए गए अभियोगों की संख्या**	**समाधान (प्रशमन) किए गए मामलों की संख्या**	**न्यायनिर्णयन के दौरान दंड आरोपित किए गए मामलों की संख्या**
184	180	151	11	49

(ग): महिला निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित अनुपालनों के संबंध में, वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के दौरान वसूल की गई दंड राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	न्यायनिर्णयन के दौरा वसूल की गई दंड राशि
2021	6,10,500
2022	14,58,500
2023	21,61,000
2024	3,00,001
2025	33,36,500

(घ): सरकार ने मातृत्व लाभ, समान पारिश्रमिक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों एवं नीतियां बनाई हैं, जो मिलकर घरेलू एवं सार्वजनिक स्थलों, जिनमें कार्यस्थल भी शामिल है, में महिलाओं की समानता, सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने वाले एक व्यापक ढांचा तैयार करती है। भारत सरकार नीति निर्माण में परामर्शात्मक एवं साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें जनता, उद्योग निकायों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित हितधारकों से प्राप्त सुझावों, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, और समय-समय पर उचित उपाय किए जाते हैं।

*****